

२४३
२५

पत्रावली पेश हुई। वकील वापी व वापी
को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज
लगाने के बावजूद भी वकील वापी व
वापी न्यायालय में हाजिर नहीं होने

पर कापी का वाद अहम हाजरी अदम पैखी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फसल
शुमार होकर नम्बर कम होकर वाखिस
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बंजारामगढ़